न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – डॉ0 साधना शर्मा, आर.ए.एस.

प्रकरण संख्या – 35/2023

उनवानः–

राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार धौलपुर

––––– प्रार्थी

बनाम

अर्जुन सिंह, जगजीवन सिंह, बलजीत सिंह पुत्रगण जोगेन्द्र सिंह जाति जाट सिक्ख निवासी रूंध पचगांव तहसील धौलपुर

–––– अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 177 आरटीए

निर्णय

दिनांक – 03.06.2025

प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया कि आराजी खसरा नम्बर 2320/1165 रकवा 0.2150 है0 किस्म नहरी दोयम बाके ग्राम आदर्श नगर तहसील धौलपुर में स्थित है तथा अप्रार्थीगण की खातेदारी की आराजी है। अप्रार्थी को काश्त करने का पूर्ण अधिकार है किन्तु अकृषि प्रयोजन में लेने हेतु राज0 सरकार के नियमों के अन्तर्गत भूमि संपरिवर्तन कराये बिना कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार आराजी मुतनाजा पर अप्रार्थी ने अपने अधिकारों का उल्लंघन कर शर्त भंग की है। अप्रार्थी ने बिना भूमि संपरिवर्तन कराये एवं बिना अनुमति के विवादित आराजी खसरा नम्बर 2320/1165 रकवा 0.2150 है0 पर दुकान बनाकर अकृषि कार्य कर दिया है जो कानूनी रूप से अवैद्य है तथा अप्रार्थी के बिना भूमि संपरिवर्तन कराये विवादित भूमि का अकृषि प्रयोजन करने का कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा कृषि भूमि पर निहित अपने अधिकारों का हनन कर कृषि भूमि को हानि पहुंचाकर शर्त भंग की है जिसके तहत अप्रार्थी विवादित भूमि से बेदखल किये जाने व विवादित भूमि को सिवायचक किया जाना राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 177 के अंतर्गत भूमि को सिवायचक दर्ज कराने की आज्ञा प्रदान करने की कृपा करें।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से बावजूद तामील कोई उपस्थित नही हुआ।

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)

पैरोकार सरकार की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पैरोकार सरकार ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी से अप्रार्थी के खातेदारी अधिकारों को समाप्त कर विवादित आराजी को सिवायचक घोषित किया जाने का कथन किया।

पत्रावली का अवलोकन किया। प्रकरण से संबधित आराजी की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2076–79 के अनुसार विवादित आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी मे दर्ज रिकॉर्ड है। पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट पटवारी हल्का व गिरदावर के अनुसार आराजी खसरा नम्बर 2320/1165 रकवा 0.2150 है0 किस्म नहरी दोयम जो कि अर्जुनसिंह, जगजीवन सिंह, बलजीत सिंह पुत्रान जोगेन्द्र सिंह हिस्सा बराबर निवासी रूंध पचगांव की खातेदारी में दर्ज है जिस पर बिना भूमि रूपान्तरण कराये अकृषि कार्य दुकान बनाकर किया जाना अंकित किया है। खसरा गिरदावरी संवत 2079 ख.नं. 2320/1165 ग्राम आदर्श नगर के अनुसार विवादित आराजी पर पडत दर्ज है। अप्रार्थीगण द्वारा बावजूद तामील के न्यायालय में उपस्थित होकर प्रार्थी तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के संबध में कोई जवाबदेही नही की गई है इससे तहसीलदार धौलपुर द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को बल मिलता है।

उपरोक्त विवेचन अनुसार स्पष्ट है कि प्रकरण में विवादित आराजी खसरा नम्बर 2320/1165 रकवा 0.2150 है0 किस्म नहरी दोयम बाके ग्राम आदर्श नगर के खातेदार काश्तकार अर्जुनसिंह, जगजीवन सिंह, बलजीत सिंह पुत्रान जोगेन्द्र सिंह हिस्सा बराबर निवासी रूंध पचगांव द्वारा अपनी खातेदारी की कृषि भूमि का बिना संम्परिवर्तन कराये अकृषि प्रयोजनार्थ उपयोग किया जा रहा है जो कि राजस्थान काश्तकारी नियमों का उल्लंघन है व अप्रार्थी को इसका कोई हक प्राप्त नहीं है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 177 के तहत वर्तमान राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज खातेदार के खातेदारी अधिकारों को समाप्त कर हम विवादित आराजी को सिवायचक दर्ज किया जाना उचित समझते हैं।

अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 2320/1165 रकवा 0.2150 है0 किस्म नहरी दोयम बाके ग्राम आदर्श नगर तहसील धौलपुर पर खातेदार अर्जुनसिंह, जगजीवन सिंह, बलजीत सिंह पुत्रान जोगेन्द्र सिंह हिस्सा बराबर निवासी रूंध पचगांव के खातेदारी अधिकार समाप्त कर आराजी को सिवायचक घोषित किया जाता है। तहसीलदार धौलपुर को आदेशित किया जाता है कि वे तदनुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज कर भूमि से खातेदार को बेदखल कर भूमि कब्जे राज लेकर रिपोर्ट न्यायालय को भिजवावें। निर्णय प्रति तहसीलदार धौलपुर को पालनार्थ प्रेषित की जावे। पत्रावली फैशल शुमार होकर बाद तकमील दाखिल दफ्तर हो। नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया।

(डॉ0साधना शर्मा)
उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर (राज0)